

न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 54 / 14ए इ0दी0

संस्थापन दिनांक : 24.10.2013

1. मुरारीलाल पुत्र रामेश्वरदयाल आयु 50 वर्ष व्यवसाय खेती
  2. बच्चूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र रामेश्वरदयाल
  3. बृजेश शर्मा उर्फ विजयराम शर्मा आयु 35 वर्ष पुत्र रामेश्वरदयाल
  4. मुकेश शर्मा उर्फ फुंदीलाल शर्मा आयु 30 वर्ष पुत्र रामेश्वरदयाल
- समस्त निवासी वार्ड नं0 15 कोट मोहल्ला गोहद जिला भिण्ड

—वादीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र रामेश्वरदयाल आयु 58 वर्ष निवासी निवासी वार्ड नं0 15 कोट मोहल्ला गोहद जिला भिण्ड
2. अभिषेक लोहिया पुत्र गजराजसिंह लोहिया आयु 16 वर्ष जाति जाटव निवासी विवेक नगर मेला ग्राउण्ड के पीछे ग्वालियर द्वारा वादार्थ संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री आर0बी0दौंदेरिया
3. संभव लोहिया पुत्र गजराजसिंह लोहिया आयु 11 वर्ष जाति जाटव निवासी विवेक नगर मेला ग्राउण्ड के पीछे ग्वालियर द्वारा वादार्थ संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री आर0बी0दौंदेरिया
4. म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

—प्रतिवादीगण

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. यह वाद भूमि आराजी क्रमांक 2064 रकवा 0.941 है0, 2066 रकवा 0.982 है0, 2067 रकवा 0.439 है0, जिसका बंदोवस्त के बाद नवीन सर्वे क्रमांक 3177 रकवा 2.41 है0 कायम किया गया है, के 4/5 भाग रकवा 1.92 है0 पर वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की घोषणा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्र.पी.3 क्रमांक 816 दिनांक 05.08.13 वादी के भाग तक शून्य घोषित किए जाने और उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने की और भूमि पर नामांतरण न कराने की तथा भूमि को हस्तांतरित न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि भूमि आराजी क्रमांक 2064 रकवा 0.941 है0, 2066 रकवा 0.982 है0, 2067 रकवा 0.439 है0, जिसका बंदोवस्त के बाद नवीन सर्वे क्रमांक 3177 रकवा 2.41 है0 कायम किया गया है एवं भूमि आराजी क्रमांक 2068 रकवा 0.303 है0, 2122 रकवा 0.826 है0, 2123 रकवा 1.222 है0, 2124 रकवा 0.34 है0 जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा का बंदोवस्त के पूर्व एक खाता स्थित था।
3. वादपत्र के अभिवचन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि वादीगण और प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता रामेश्वरदयाल के स्वत्व व आधिपत्य की थी। जो जीवन पर्यंत विवादित भूमि पर काबिज रहे। रामेश्वरदयाल की सन 2007 में मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यु के बाद वादीगण और प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि पर समान भाग से काबिज होकर कृषि करते आ रहे हैं। अतः विवादित भूमि संयुक्त अविभाजित पिता से प्राप्त संपत्ति है विवादित भूमि के 4/5 भाग रकवा 1.92 है0 पर खेती हो रही है। जिससे प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई संबंध नहीं है। दिनांक 01.09.13 को जब वादी क्रमांक 1 अपना खेत जुतवा रहा था तब प्रतिवादी क्रमांक 1 ने संपूर्ण विवादित भूमि अपने नाम कराना बताया और दस बीघा भूमि का बयनामा प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पक्ष में करना बताया है। दिनांक 16.09.13 को वादी ने राजस्व अभिलेख और दिनांक 23.09.13 को विक्रय पत्र प्र.पी.3 की प्रति प्राप्त की तब उसे इन्द्राज कराने व विक्रय पत्र प्र.पी.3 की जानकारी हुई और विक्रय पत्र प्र.पी.3 के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 अपना नामांतरण कराने के लिए और वादीगण को बेदखल करने के लिए प्रत्युत्पन्नील हैं। प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने बिना प्रतिफल दिए व बिना कब्जा प्राप्त किए विवादित भूमि में वादीगण के भाग का अवैधानिक विक्रय पत्र प्र.पी.3 संपादित कराया है जिससे उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विक्रय पत्र प्र.पी.3 वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन है। अतः आराजी क्रमांक 2064 रकवा 0.941 है0, 2066 रकवा 0.982 है0, 2067 रकवा 0.439 है0, जिसका बंदोवस्त के बाद नवीन सर्वे क्रमांक 3177 रकवा 2.41 है0 कायम किया गया है, के 4/5 भाग रकवा 1.92 है0 पर वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की घोषणा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्र.पी.3 क्रमांक 816 दिनांक 05.08.13 वादी के भाग तक शून्य घोषित किए जाने और वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने की और भूमि पर नामांतरण न कराने की तथा भूमि को हस्तांतरित न करने की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।
1. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादोत्तर में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादपत्र के अभिवचनों को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व की जानकारी वादी क्रमांक 1 को वर्ष 1972 के पूर्व से ही है। वर्ष 1972 के पूर्व से ही वादी क्रमांक 1 अपने पिता व भाइयों से प्रथक निवास कर

रहा है। अतः वाद अवधि बाह्य है विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी और वादीगण के पिता के मध्य पूर्व में संचालित वाद को चुनौती नहीं दी गयी है इसलिए पूर्व का निर्णय वादीगण पर बंधनकारी है। रामेश्वरदयाल दिनांक 28.08.72 के पूर्व उक्त भूमि के भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी थे और प्रतिवादी क्रमांक 01 28.08.72 के पूर्व से ही विवादित भूमि पर खेती कर रहा था और न्यायालय के निर्णय से भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी हुआ और दिनांक 05.08.13 तक भूमि स्वामी और आधिपत्यधारी रहा और उक्त दिनांक के पश्चात से प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने पिता के जीवनकाल से ही प्रथक निवास कर रहा है इसलिए वादी के साथ कभी संयुक्त रूप से नहीं रहा। अतः वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

2. प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने वादोत्तर में अभिवचन किया है कि विवादित भूमि का रकबा 2.0 है० पर उनकी खेती हो रही है। जिन्होंने प्रतिवादी क्रमांक 1 से विधिवत बयनामा कराया है। वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 1 के इन्द्राज की जानकारी पूर्व से ही थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय पत्र प्र.पी.3 संपादित किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। विक्रय पत्र प्र.पी.3 का प्रतिफल 42,00,000/-रुपये है इसलिए न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है और वादीगण ने तदनुसार न्यायशुल्क संदाय नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने शेष वादपत्र के अभिवचन जानकारी के अभाव में अस्वीकार किए हैं और वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न वादप्रश्न है जिन पर प्राप्त निष्कर्ष प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जा रहा है।

#### वादप्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या भूमि सर्वे क्रमांक 3177 रकबा 2.41 है० जिसका बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 2064 रकबा 0.941 है०, 2066 रकबा 0.982, 2067 रकबा 0.439 है०, 2068 रकबा 0.303 है०, 2122 रकबा 0.826 है०, 2123 रकबा 1.222, 2124 रकबा 0.334 है० था जिसका मौजा सर्वा तहसील गोहद जिला भिण्ड के 4/5 भाग पर वादीगण का स्वत्व है ?
2. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि के 4/5 भाग पर वादीगण का आधिपत्य है ?
3. क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का किया गया विक्रय पत्र दिनांक 05.08.13 विक्रय पत्र क्रमांक 816 वादीगण के भाग तक वादीगण के मुकाबले शून्य और प्रभावहीन है ?
4. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?
5. क्या प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित करने या नामांतरित करने हेतु प्रयासरत हैं ?
6. क्या वाद परिसीमा अवधि में पेश किया गया

है ?

7. क्या धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर विचारण योग्य नहीं है ?

8. सहायता एवं व्यय ?

9. क्या वादीगण ने वाद का न्यायशुल्क एवं क्षेत्राधिकारिता हेतु वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है ?

//वादप्रश्न क्रमांक 1 पर सकारण निष्कर्ष//

4. मुरारीलाल वा.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि के भूस्वामी रामेश्वरदयाल थे जो अपने जीवन पर्यंत संवत् 2007 तक विवादित भूमि पर काबिज रहे और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण और प्रतिवादी क्रमांक 1 समान भाग पर काबिज हैं। अतः विवादित भूमि अविभाजित भूमि है जिसका मौके पर एक खेत है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 4/5 भाग रकबा 1.96 है0 है जो करीब पौने दस बीघा है। जिससे प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने फर्जी दायरा क्रमांक डालकर फर्जी इन्द्राज करा लिया है। जबकि रामेश्वरदयाल ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम किसी भी प्रकार से नहीं की। बंटी वा.सा.2 एवं कैलाश वा.सा.3 ने कथन किया है कि विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 को उनके पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। रामेश्वरदयाल के बड़े लड़के घनश्याम प्र.सा.1 ने फर्जी तरीके से अपना नाम करा लिया है।
5. घनश्याम प्र.सा.1 ने वादी की मौखिक साक्ष्य के खण्डन में कथन किया है कि विवादित भूमि के उसके पिता दिनांक 28.08.72 के पूर्व भूमि स्वामी थे और दिनांक 28.08.72 के न्यायालयीन निर्णय और प्रावधानों के अनुसार वह विवादित भूमि का भूमिस्वामी है। वह अपने पिता के जीवनकाल में ही वर्ष 1972 के पूर्व से प्रथक होकर अलग निवास कर रहा था और कभी अपने पिता व वादीगण के साथ संयुक्त रूप से नहीं रहा।
6. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 3177 का खसरा व खतौनी वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-4 व 5 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार विवादित भूमि घनश्याम प्र.सा.1 के स्वत्व में उल्लिखित है। वादीगण ने री-नंबरिंग पर्चा प्र0पी-6 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 3177 के बंदोवस्त के पूर्व साबिक नंबर 2064, 2066 और 2067 थे। वादी ने रामेश्वरदयाल की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र0पी-8 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार विवादित भूमि साबिक आराजी क्रमांक 2064, 2066 और 2067 रामेश्वरदयाल के भूस्वत्व में उल्लिखित है। वादी ने विवादित भूमि का खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत् 2026 लगायत 2030 प्र0पी-9 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार विवादित भूमि का भूस्वामी रामेश्वरदयाल उल्लिखित है। खण्डन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी ने न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद के प्र0क्र0 212/72 घनश्याम प्र.सा.1 बनाम रामेश्वरदयाल में पारित आदेश दिनांक 28.08.72 प्र0डी-2 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है उक्त आदेशानुसार भूमि खसरा क्रमांक 2064, 2066, 2067 पर घनश्याम प्र.सा.1 ने स्वत्व घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी रामेश्वर ने वाद पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार



किया है। अतः आदेश 15 नियम 1 सी.पी.सी. के अधीन विवादित भूमि का घनश्याम प्र.सा.1 को स्वत्वधारी घोषित किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी रामेश्वर को प्रेषित समन्स प्र0डी-1 भी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

7. वादीगण ने न्यायदृष्टांत भंवरलाल बनाम कस्तूरीबाई 2008 राजस्व निर्णय 94 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार नामांतरण आदेश से स्वत्व प्राप्त नहीं होता है और सिविल न्यायालय को स्वत्व निर्धारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादीगण ने न्यायदृष्टांत नगर निगम ग्वालियर बनाम पूरनसिंह व अन्य 2014(3) एस.सी.सी.डी. 1349 (एस.सी.) प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार खसरा प्रविष्टि और स्वत्व निर्धारण नहीं होता है। न्यायदृष्टांत एच.लक्ष्मैया रेड्डी बनाम एल.वेंकटेश रेड्डी 2015(3) एस.सी.सी.डी. 1149(एस.सी.) प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार नामांतरण प्रविष्टि से हक का त्याग नहीं माना जा सकता है। वह केवल भू-राजस्व वसूली के लिए होती है।

8. मुरारीलाल वा.सा.1 ने पैरा 9 में कथन किया है कि वह पांच भाई हैं उसकी मौजा सर्वा, गोहद और कठवा मौजे में जमीन थी और बंटवारे में 8-10 साल पूर्व पिताजी ने अपने सामने दो बीघा जमीन कठवा वाली बच्चू को जमीन दी थी। फिर पैरा 10 में बंटवारे के तथ्यों से इंकार किया है और पैरा 13 में स्वीकार किया है कि उनके पिताजी ने किसी भी मौजे की कोई खेती घनश्याम प्र.सा.1 को बंटवारे में अथवा हिस्से अनुसार नहीं दी विवादित जमीन घनश्याम प्र.सा.1 को बंटवारे में मिली अथवा नहीं उसे नहीं पता। अतः बंटवारे के संबंध में मुरारीलाल वा.सा.1 ने स्थिर कथन नहीं किया है और घनश्याम प्र.सा.1 को भी विवादित भूमि बंटवारे में न प्राप्त होने का स्पष्ट कथन नहीं किया है। मुरारीलाल वा.सा.1 ने एक भाई बच्चूसिंह को बंटवारे में भूमि प्राप्त होना बताया है अतः प्रथम दृष्टया बंटवारे के तथ्य स्पष्ट होते हैं और प्रतिवादी के अभिवचन को समर्थन प्राप्त होता है कि वह अपने पिता के जीवनकाल से ही अलग हो गया था और विवादित भूमि पर कभी संयुक्त नहीं रहा। अतः प्रथम दृष्टया मुरारीलाल वा.सा.1 ने विभाजन के तथ्यों को स्वीकार किया है परन्तु घनश्याम प्र.सा.1 ने पैरा 6 में स्वीकार किया है कि उन भाइयों का आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है अतः बंटवारे के तथ्य को घनश्याम प्र.सा.1 ने अपने कथन में इंकार किया है जिससे मुरारीलाल वा.सा.1 के कथन में उक्त विरोधाभास से प्रतिवादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन के संबंध में दिए कथन का प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी ने खण्डन किया है परन्तु घनश्याम प्र.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में अपने पिता से अलग निवास करना बताया है जो प्रतिपरीक्षण में चुनौतीविहीन रहा है।

- 9- घनश्याम प्र.सा.1 ने पैरा 5 में कथन किया है कि वर्ष 1972 में उसकी आयु 19 साल थी और इस सुझाव से इंकार किया है कि मुख्यपरीक्षण में उसकी आयु 57 साल के अनुसार सन 1972 में उसकी आयु 13 साल थी आदेश प्र0डी-2 में घनश्याम प्र.सा.1 की आयु 20 साल उल्लिखित है। परन्तु इस प्रकरण में प्रस्तुत मुख्यपरीक्षण शपथपत्र में अंकित आयु के अनुसार वर्ष 1972 में उसकी आयु 13 वर्ष होती है। आदेश प्र0डी-2 में घनश्याम प्र.सा.1 अवयस्क के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है और आदेश 32 सी.पी.सी. के अधीन आदेश प्र0पी-2 बिना घनश्याम प्र.सा.1 का वादमित्र नियुक्त किए पारित नहीं किया जा सकता था अगर वह अवयस्क होता न्यायदृष्टांत Naseeb Ahmad And Ors. vs State Of U.P. And Ors. 2005 (1) AWC 594= (2005) 1 UPLBEC 958 में प्रतिपादित विधि के अनुसार A Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court in Gopal Narain v. State of U. P. and Ors., AIR 1964 SC 370. held that there is a presumption when a statutory authority makes an order, that it has followed the prescribed

procedure and such a presumption can only be rebutted by adducing appropriate evidence. However, the party, which makes an allegation that the act has not regularly been performed, the onus to prove lies upon him that the proper procedure has not been followed or the act has not been performed as was required under the law. अतः उक्त न्यायदृष्टांत प्रतिपादित विधि के अनुसार अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाता है तब यह उपधारणा की जायेगी कि सम्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है और सम्यक प्रक्रिया का पालन न किए जाने की उपधारणा खण्डित करने का सबूत का भार उस पक्षकार पर होता है जो यह अभिवाक करता है कि सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। परन्तु वादी ने ही आदेश प्र0डी-2 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिए जाने का अभिवाक नहीं किया है। अतः वर्तमान में आदेश प्र0डी-2 प्रभावशील है और वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है। अतः आदेश प्र0डी-2 की सम्यकता उपधारित करते हुए घनश्याम प्र.सा.1 को आदेश दिनांक को अवयस्क नहीं माना जा सकता है अपितु घनश्याम प्र.सा.1 की प्रमाणित आयु के संबंध में वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि वर्ष 1972 में घनश्याम प्र.सा.1 की आयु 18 वर्ष से अल्प थी। अतः मुख्यपरीक्षण में घनश्याम प्र.सा.1 की आयु 57 वर्ष उल्लिखित होना गलत होना स्पष्ट होता है परन्तु उक्त तथ्य से आदेश प्र0डी-2 की दिनांक को घनश्याम प्र.सा.1 की आयु 18 वर्ष से कम होना नहीं मानी जा सकती है।

10. स्वत्व के स्रोत के संबंध में घनश्याम प्र.सा.1 ने पैरा 7 में कथन किया है कि वह विवादित भूमि पर खेती करता था इसलिए दीवानी न्यायालय से उसे जमीन मिली है। घनश्याम प्र.सा.1 को प्रतिपरीक्षण में तामील प्र0डी-1 के संबंध में भी सुझाव दिए गए हैं और घनश्याम प्र.सा.1 ने पैरा 8 में उसकी जानकारी में कोई तामील न होना बताया है। वादी अधिवक्ता का भी तर्क है कि प्र0डी-1 की तामील प्रकरण में इसलिए पेश की गयी है क्योंकि वह नहीं कराई गयी थी और इस संबंध में पैरा 8 में सुझाव भी दिए गए हैं। लेकिन आदेश प्र0डी-2 में रामेश्वरदयाल द्वारा वादी के अभिवचनों को स्वीकार करना बताया है और उक्त आदेश एकपक्षीय पारित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत *Naseeb Ahmad And Ors. vs State Of U.P. And Ors.* 2005 (1) AWC 594= (2005) 1 UPLBEC 958 के आलोक में आदेश प्र0डी-2 रामेश्वरदयाल के एकपक्षीय रहने पर भी उसके द्वारा वादपत्र का अभिवचन कर प्रक्रिया के विरुद्ध पारित किया जाना स्वमेव उपधारित नहीं किया जा सकता है और तामील प्र0डी-1 प्रस्तुत करने से यह स्वमेव नहीं माना जा सकता है कि आदेश प्र0डी-2 में त्रुटिपूर्वक लिखा गया है कि रामेश्वरदयाल ने वादपत्र के सभी अभिवचनों को स्वीकार किया है।
11. घनश्याम प्र.सा.1 ने पैरा 8 में कथन किया है कि आदेश प्र0डी-2 के एक माह के अंदर उसने विवादित भूमि अपने नाम करा ली थी और उक्त पैरा ही में स्वीकार किया है कि जमीन अपने नाम कराये जाने के दस्तावेज उसने पेश नहीं किए हैं। वादी ने प्र0पी-7 के दायरा रजिस्टर की पंजी पेश की है और अभिवाक किया है कि उक्त प्रविष्टि पर दर्ज इन्द्राज के अनुसार रामेश्वरदयाल के स्थान पर घनश्याम प्र.सा.1 का इन्द्राज नहीं हुआ है। खसरा व खतौनी प्र0पी-4 व 5 में घनश्याम प्र.सा.1 का इन्द्राज है परन्तु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि घनश्याम प्र.सा.1 का इन्द्राज किस प्रकरण क्रमांक से हुआ था भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र0पी-8 में प्र0क्र0 12/79-80X121 के अनुसार घनश्याम प्र.सा.1 का नामांतरण होना उल्लिखित किया गया है। उक्त प्रविष्टि तहसीलदार द्वारा सत्यापित नहीं है मात्र प्रतिवादी द्वारा सत्यापित है जबकि दायरा

पंजी प्र0पी-7 राजस्व न्यायालय वृत्त गोहद की है। अतः दस्तावेज प्र0पी-7 में दर्ज दायरा क्रमांक की क्रम संख्या से घनश्याम प्र.सा.1 का अवैध नामांतरण हुआ है यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जबकि घनश्याम प्र.सा.1 ने ही पैरा 10 में प्र0क्र0 12/79-80X121 के द्वारा अपने पिता के नाम की जमीन पर अपना फर्जी नामांतरण किए जाने से इंकार किया है। घनश्याम प्र.सा.1 ने पैरा 12 में स्वीकार किया है कि भोगीराम द्वारा उसका नाम का इन्द्राज किया गया है और भोगीराम पटवारी उसके मामा थे और इस सुझाव से इंकार किया है कि भोगीराम ने फर्जी दायरे से भूमि उसके नाम कर दी है। पुस्तिका प्र0पी-8 में दर्ज दायरा क्रमांक राजस्व न्यायालय वृत्त एण्डोरी के दायरा क्रमांक के अनुरूप नहीं है अपितु उक्त इन्द्राज घनश्याम प्र.सा.1 के मामा पटवारी भोगीराम द्वारा किया जाना घनश्याम प्र.सा.1 ने बताया है। अतः यद्यपि पुस्तिका प्र0पी-8 की त्रुटि वैधानिक व सत्य प्रतीत नहीं होती है परन्तु प्रतिवादी का स्वत्व आदेश प्र0डी-2 से प्राप्त होना वर्णित किया गया है और राजस्व प्रविष्टि से स्वत्व निर्धारित नहीं हो सकता है।

12. अतः राजस्व प्रविष्टि जोकि पुस्तिका प्र0पी-7 में है त्रुटिपूर्ण होने से भी आदेश प्र0डी-2 असत्य नहीं माना जा सकता है और पुस्तिका प्र0पी-7 के अलावा वादी ने ऐसा कोई खसरा या नामांतरण पंजी पेश नहीं की है जिससे कि घनश्याम प्र.सा.1 का इन्द्राज स्पष्ट हो सके और पुस्तिका प्र0पी-7 की त्रुटि या अवैधानिकता से नामांतरण की अवैधानिकता स्पष्ट नहीं जा सकती है। घनश्याम प्र.सा.1 ने पैरा 8 और पैरा 11 में इस आशय के तथ्यों को अस्वीकार किया है कि उसने अपने भाइयों की नाबालिगी की दशा में बिना पिता को जानकारी दिए गोपनीय तरीके से न्यायालय में गलत जानकारी देकर विवादित भूमि अपने नाम करा ली है। जबकि उसमें उसके भाइयों का हिस्सा था और पैरा 11 में स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में उसने सभी भाइयों को पक्षकार नहीं बनाया है। आदेश प्र0डी-2 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। अतः उक्त आदेश में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष इस न्यायालय द्वारा विचारित नहीं किया जा सकता है और आदेश प्र0पी-2 जोकि न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपि है वह स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में स्वतः कूटरचित नहीं मानी जा सकती है।

13. अतः वादीगण और प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य विभाजन होना स्पष्ट नहीं हुआ है परन्तु वादीगण ने विवादित भूमि का रामेश्वरदयाल के उत्तराधिकारी के रूप में 4/5 भाग पर स्वत्व की प्रार्थना की है। आदेश प्र0डी-2 की सत्यता को वादी साक्ष्य से प्रभावित करने में असफल रहा है। आदेश प्र0डी-2 में वादी घनश्याम प्र.सा.1 का नाबालिग होना मात्र उसके मुख्यपरीक्षण शपथपत्र में दर्शित आयु से नहीं माना जा सकता है और आदेश प्र0डी-2 बिना रामेश्वरदयाल की तामील जारी किए उसकी अनुपस्थिति में पारित किया जाना भी नहीं माना जा सकता है जबकि उक्त न्यायदृष्टांत *Naseeb Ahmad And Ors. vs State Of U.P. And Ors.* 2005 (1) AWC 594= (2005) 1 UPLBEC 958 के आलोक में आदेश के क्रम में सम्यक प्रक्रिया का पालन किये जाने की उपधारणा होगी और ऐसी प्रक्रियात्मक उपधारणा को खण्डित करने के लिए वादी को सुदृढ़ साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है। आदेश प्र0डी-2 चुनौती के अभाव में वर्तमान में प्रभावशील है। अतः रामेश्वरदयाल की मृत्यु के उपरांत जब उत्तराधिकार खुला तब आदेश प्र0डी-2 के प्रभाव से विवादित भूमि रामेश्वरदयाल के स्वत्व की नहीं थी। अतः उत्तराधिकार के अनुक्रम में वादीगण को स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। ऋण पुस्तिका प्र0पी-8 में उल्लिखित प्रकरण क्रमांक का मिलान इन्द्राज प्र0पी-7 से नहीं होता है परन्तु उक्त पुस्तिका प्र0पी-8 के अलावा वादी ने नामांतरण पर कोई लोक



दस्तावेज पेश नहीं किया है पुस्तिका प्र0पी-8 लोक दस्तावेज नहीं है। अतः उसकी प्रविष्टि के आधार पर नामांतरण अवैधानिक नहीं माना जा सकता है और नामांतरण से आदेश प्र0डी-2 के प्रभाव से घनश्याम प्र.सा.1 का सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित स्वत्व भी अवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

14. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से विवादित भूमि पर 4/5 भाग पर वादीगण का स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 2 पर सकारण निष्कर्ष//

15. मुरारीलाल वा.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि पर वादीगण अधिपत्यधारी हैं और अपने पिता की मृत्यु के बाद समान भाग पर काबिज होकर खेती करते आ रहे हैं। बंटी वा.सा.2 एवं कैलाश वा.सा.3 ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि उन्होंने देखी है जिसके भूस्वामी रामेश्वरदयाल थे। विवादित जमीन का एक खेत है जो 12बीघा का है पहले रामेश्वरदयाल खेती करते थे और उनकी मृत्यु के बाद 8-10 वर्ष से रामेश्वरदयाल के पांचों लड़के खेती कर रहे हैं। उनके खेत विवादित जमीन के पास ही हैं और उन्होंने विवादित भूमि पर हमेशा रामेश्वरदयाल के जमाने से उसके पांचों पुत्रों को खेती करते देखा है। विवादित खेत बंटा नहीं है सभी भाई ट्रैक्टर से खेती कराते हैं। विवादित खेत में दस बीघा जमीन ग्वालियर के जाटव को बेच दी है जबकि ग्वालियर वालों का अभी तक विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है।
16. घनश्याम प्र.सा.1 ने वादी की मौखिक साक्ष्य के खण्डन में कथन किया है कि वह विवादित भूमि पर दिनांक 28.08.72 के पूर्व से ही काबिज होकर खेती कर रहा है और दिनांक 05.08.13 के बाद प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 अधिपत्यधारी हैं। विवादित भूमि पर एकांकी रूप से उसका स्वत्व रहा है। राजकुमार ने मुख्यपरीक्षण में घनश्याम प्र.सा.1 के कथन का समर्थन कर वादी की मौखिक साक्ष्य के खण्डन में कथन किया है कि विवादित भूमि उसने देखी है जिस पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही वादीगण की खेती हुई है। विवादित भूमि पर घनश्याम प्र.सा.1 का ही कब्जा है और वही मौके पर खेती कर रहा है जब से उसने होश संभाला है तब से वह प्रतिवादी क्रमांक 1 को खेती करता देख रहा है।
17. मुरारीलाल वा.सा.1 ने पैरा 11 में कथन किया है कि विवादित जमीन पर उन्हीं की खेती है उन्हीं का कब्जा है। मुरारीलाल वा.सा.1 ने पैरा 14 में इंकार किया है कि विक्रय दिनांक से दस बीघा भूमि पर संभव और अभिषेक की खेती हो रही है। बंटी वा.सा.2 ने पैरा 4 में कथन किया है कि विवादित खेत पर घनश्याम प्र.सा.1 और बच्चू के अलावा सभी भाई खेती करते हैं और पैरा 5 में इंकार किया है कि विवादित भूमि जिनने खरीदी है वही खेती कर रहे हैं और शेष दो बीघा पर बच्चू खेती कर रहा है। बंटी वा.सा.2 ने पैरा 6 में और कैलाश वा.सा.3 ने पैरा 5 में इंकार किया है कि विवादित भूमि पर अभिषेक और संभव की दस बीघा भूमि पर खेती हो रही है। घनश्याम प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि विवादित भूमि पर सभी भाइयों की खेती हो रही है और पूर्व में रामेश्वरदयाल के जीवनकाल में रामेश्वरदयाल की खेती होती थी। राजकुमार ने पैरा 3 में स्वीकार किया है कि रामेश्वर उसके नाना थे परन्तु पैरा 3 में ही विवादित भूमि के चारों ओर किसके खेत हैं यह जानकारी होने से इंकार किया है और पैरा 5 में मात्र एक बार ही विवादित खेत पर जाना बताया है। अतः स्थापित अधिपत्य के संबंध में



राजकुमार द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिए कथन लेशमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

18. अतः विवादित भूमि पर अधिपत्य के संबंध में उभयपक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य पेश की गयी है। वादी की मौखिक साक्ष्य का खण्डन प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य से किया है। विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः स्वत्व के अभाव में भी अधिपत्य की उपधारणा किए जाने के लिए वादी को स्पष्ट साक्ष्य पेश करना आवश्यक थी वादी की मौखिक साक्ष्य का प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य से खण्डन किया है।
19. अतः विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य होना भी सिद्ध नहीं होता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 2 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 6 पर सकारण निष्कर्ष//

20. मुरारीलाल वा.सा.1 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व जब वह अपनी भूमि को जुतवा रहा था तब प्रतिवादी क्रमांक 1 खेत पर आया और उसने कहा कि उसने संपूर्ण खेत अपने नाम करा लिया है। मुरारीलाल वा.सा.1 ने पैरा 11 में कथन किया है कि 12बीघा जमीन घनश्याम प्र.सा.1 के नाम से थी यह बात उसे तब पता चली जब केस चला और पैरा 12 में भी इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है कि पिताजी के जीवनकाल में ही घनश्याम प्र.सा.1 ने विवादित भूमि अपने नाम करा ली थी और पैरा 14 में भी इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है कि प्रतिवादी ने दस बीघा जमीन अभिषेक और संभव को बेच दी थी और कथन किया है कि उसे नामांतरण का पता नहीं था इस कारण उसने कोई अपील पेश नहीं की है। घनश्याम प्र.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि वादीगण को आदेश प्र0डी-2 अथवा प्रतिवादी के नामांतरण की पूर्व से जानकारी थी। वादी द्वारा भूमि जुतवाते समय ही प्रतिवादी के स्वत्व अथवा नामांतरण की जानकारी होना प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है। अतः जानकारी दिनांक से तीन वर्ष की परिसीमा में स्वत्व घोषणा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वाद परिसीमा अवधि में पेश किया जाना सिद्ध होता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 6 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 3 पर सकारण निष्कर्ष//

21. मुरारीलाल वा.सा.1 ने कथन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दो वर्ष पूर्व उससे कहा कि दस बीघा जमीन उसने प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के हक में विक्रय कर दी है। तब वादी द्वारा प्रतिलिपि प्राप्त करने पर वादी की जानकारी में आया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अधिकार विहीन अवैधानिक रूप से प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के हक में बयनामा कर दिया है जो वादी के मुकाबले शून्य है। विक्रय पत्र प्र.पी.3 प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने जानबूझकर बिना प्रतिफल और बिना कब्जा प्राप्त किए निष्पादित कराया है जिससे प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्र.पी.3 दिनांकित 05.08.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। उपरोक्त वाद प्रश्न पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादग्रस्त भूमि के 4/5 भाग पर वादीगण का स्वत्व प्रमाणित नहीं हुआ है अपितु विक्रेता घनश्याम प्र.सा.1 का स्वत्व प्रमाणित हुआ है

और उसने अपने स्वत्व के भाग का विक्रय पत्र प्र.पी.3 प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पक्ष में किया है। विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य भी प्रमाणित नहीं हुआ है और वादी ने ऐसी भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की है कि विक्रय संविदा बिना प्रतिफल के निष्पादित की गयी है। अतः विक्रय पत्र प्र.पी.3 स्वत्वधारी विक्रेता द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त कर अधिपत्य प्रदान कर निष्पादित किया गया है जिससे विक्रय पत्र प्र.पी.3 पूर्ण रूप से वैध होना सिद्ध होता है जो वादीगण पर प्रभावशील है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 3 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 4 व 5 पर सकारण निष्कर्ष//

22. मुरारीलाल वा.सा.1 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी से जब वह खेती कर रहा था तब कहा था कि वह वादी को खेती नहीं करने देगा और जबरन कब्जा करेगा और करायेगा। घनश्याम प्र.सा.1 ने वादी की मौखिक साक्ष्य के खण्डन में कथन किया है कि उसकी वादी से खेती के संबंध में कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। विवादित भूमि को प्रतिवादीगण हस्तांतरित करना चाहते हैं इस संबंध में वादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य होना सिद्ध नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के अधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाना सिद्ध नहीं होता है। विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व भी सिद्ध नहीं हुआ है। अतः स्वत्वधारी प्रतिवादीगण द्वारा हस्तांतरण या नामांतरण का प्रयास अवैधानिक होना सिद्ध नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 व 5 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 7 पर सकारण निष्कर्ष//

23. आदेश प्र0डी-2 में वादीगण पक्षकार नहीं हैं और उक्त आदेश बिना विवाद्यक स्थिर किए प्रतिवादी रामेश्वर द्वारा अभिवचन की स्वीकारोक्ति के आधार पर पारित किया गया है। अतः पूर्व न्याय के सिद्धांत आदेश प्र0डी-2 के प्रभाव से इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। अतः यह वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 7 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 9 पर सकारण निष्कर्ष//

24. वर्तमान वाद वादी ने स्वत्व घोषणा विक्रय पत्र प्र.पी.3 शून्य घोषित किए जाने और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है जिसमें निषेधाज्ञा घोषणा का अनुतोष परस्पर पारिणामिक नहीं है। विवादित भूमि भू-राजस्व देय भूमि है अतः निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन भू-राजस्व के 20गुना के आधार पर किया जायेगा जो वर्तमान वाद में वादी ने किया है और न्यायशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन इस न्यायालय के समक्ष निषेधाज्ञा हेतु मूल्यानुसार निर्धारित 100/-रुपये न्यायशुल्क वादी ने संदाय किया है। घोषणा के संबंध में वादीगण विक्रय पत्र प्र.पी.3 के पक्षकार नहीं हैं और विवादित भूमि भू-राजस्व देय भूमि होने से घोषणा एवं निषेधाज्ञा का मूल्यांकन समान होगा और बाजारू मूल्य से मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और न्यायशुल्क अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 17 के अधीन

इस न्यायालय के समक्ष न्यायशुल्क 500/-रूपये देय होगा जो वादी ने संदाय किया है। अतः वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया जाना प्रमाणित होता है। अतः इस वाद प्रश्न क्रमांक 09 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 8 पर सकारण निष्कर्ष //

25. उपरोक्त वादप्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादी अनुतोष हेतु वादी वाद सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वाद अस्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज्ञाप्त किया जाता है।

1. वाद अस्वीकार किया गया।

2. वादीगण स्वयं के साथ प्रतिवादी क्रमांक 1 का आनुपातिक वाद व्यय वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ी जाये।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर पारित किया गया

सही/-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)